कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर

कार्यालय आदेश

श्रीमती पिंकी असवाल व्याख्याता राजनीति विज्ञान राउमावि रायपुर, पाटन,सीकर पदस्थापित है। श्रीमती असवाल ने अपने पदस्थापन स्थान में परिवर्तन हेतु माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका संख्या 9009/2020 पिंकी असवाल राज्य सरकार व अन्य दायर की। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11.09.2020 में याची को अपना अभ्यावेदन विभाग में समक्ष अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने तथा प्रस्तुत अभ्यावेदन को विभागीय दिशा–निर्देशों के तहत निस्तारण करने के निर्देश प्रदान किये ।

याचिकार्थी ने माननीय न्यायालय निर्णय की पालना में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं के रीढ की हड्डी तथा गांठ का ईलाज सीकर तथा जयपुर में चलने, वृद्व सास–ससुर की देखभाल की जिम्मेदारी स्वयं पर होने तथा पति–पत्नि दोनों राजकीय सेवा में अलग–अलग ब्लॉकों में पदस्थापित होने के आधार पर अपना पदस्थापन राउमावि अभयपुरा, पिपराली, सीकर/राउमावि मदनी, दातारामगढ., सीकर/राउमावि दूधवालों का बास, ,खण्डेला, सीकर अथवा राउमावि बनाथला, दातारामगढ, सीकर में किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की है।

याचिकार्थी से प्राप्त संबंधित अभिलेखों का राज्य सरकार और विभाग के दिशा निर्देशों/परिपत्रों और नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों दिनांक 24.09.2019 के अनुसार राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरागंना से प्राप्त परिवेदनाओं को ही प्राथमिकता से स्थानांतरण के निर्देश प्राप्त है। याचिकार्थी इनमें से किसी भी श्रेणी से संबंध नहीं रखता है।

याचिकार्थी द्वारा धारित व्याख्याता का पद राज्य सेवा के राजपत्रित स्तर का पद है, और नियोक्ता द्वारा उन्हें छात्र हित/राज्य हित अथवा प्रशासनिक कारणों से राज्य में कहीं पर भी पदस्थापन/स्थानान्तरण किया जा सकता है। याचिकार्थी एवं उनके पति सीकर जिले में ही पदस्थापित है। अतः याचिकार्थी द्वारा एक ही ब्लॉक में पदस्थापन किये जाने की मांग तर्कसंगत नहीं है। यह विधि सुस्थापित सिद्वांत है कि लोक सेवक द्वारा इच्छित स्थान पर पदस्थापन की मांग अधिकारपूर्वक नहीं की जा सकती है।

उपर्युक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए याचिकार्थी द्वारा की गई मांग नियमानुकूल नहीं होने के कारण इनका अभ्यावेदन एतदद्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/मा/संस्था/सी–6/रावि/स्थानांतरण अभ्यावेदन/2020/08 दिनांकः07/10/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
2. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
3. संबंधित कार्मिक......................।
4. अनुभाग अधिकारी कम्प्युटर अनुभाग वेबसाईट पर अपलोड हेतु
5. गार्ड पंजिका

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर